



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 92 राँची, गुरुवार,

16 फरवरी, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-25/2016-17-लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-10/02/2023 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 04, 2023)

विषय वस्तु

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ
2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-27 में संशोधन

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणतंत्र के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम 'झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022' कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उप धारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं-

- (1) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) -

“ मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।”

- (2) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) -

“ मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।”

- (3) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण -

“ मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण में अंकित शब्द समुहों ' अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा ' को विलोपित किया जाता है।”

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
15 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-25/2016-18—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-10/02/2023 को अनुमत **झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2022 (Jharkhand Act- 04, 2023)

Subject – Index

PRELIMINARY

1. Short name and commencement
2. Amendment in the Section- 27 of Jharkhand Municipal Act, 2011.

An Act to amend the Jharkhand Municipal Act, 2011

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventy-third year of the Republic of India as follow :-

1. Short title, extend and commencement –

- (1) This Act may be called the Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2022.
- (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand as provisioned in Sub Section (2) of Section 1 of Jharkhand Municipal Act, 2011.
- (3) It shall come into force from the date of its issuance notification.

2. Amendment in Section – 27 of Jharkhand Municipal Act, 2011 as follows :-

- (1) In Section 27 (2) (b) of the Principal Act -

" The word group ' by rotation ' written in section-27 (2) (b) of the Principal Act is hereby deleted."

(2) In Section 27 (2) (c) of the Principal Act -

" The word group ' by rotation ' written in section-27 (2) (c) of the Principal Act is hereby deleted."

(3) In Explanation of Section 27 (2) (f) of the Principal Act -

" The word groups ' The Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes and ' written in Explanation of section-27 (2) (f) of the Principal Act is hereby deleted."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।
